

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :- 23/2012

दायर तारीख :- 22-03-2012

1. कजोड पुत्र काला जाति गुर्जर निवासी आमलोदा दूधी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादी

बनाम

1. श्रीराम पुत्र श्योबक्स (फौत)
  - 1/1. फूली देवी पत्नि श्रीराम
  - 1/2. जगदीश
  - 1/3. सुण्डाराम
  - 1/4. भोमाराम
  - 1/5. सरजो पुत्री श्रीराम पत्नि सुल्तान गुर्जर
  - 1/6. ममता पुत्री श्रीराम पत्नि विजेन्द्र
  - 1/7. पांची पुत्री श्रीराम पत्नि बिरदू गुर्जर निवासी भडाना का बास तन प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
  - 1/8. सजना पुत्री श्रीराम पत्नि साधूराम गुर्जर
  - 1/9. मन्नी पुत्री श्रीराम पत्नि बनवारी
  - 1/10. मीरा पुत्री श्रीराम पत्नी कैलाश
  - 1/11. लाली पुत्री श्रीराम पत्नि लीलाराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी माधोगढ वाया प्रतापगढ तह. थानागाजी जिला अलवर राज0।
2. नाथू पुत्र श्योबक्स जाति गुर्जर निवासी आमलोदा दुदी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर।
4. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा


खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादी  
श्री महेश मुदगूल, अधिवक्ता प्रति0 संख्या 1/1 लगा0 1/11 तथा 2  
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 29.07.2021

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम आमलोदा दूधी के हाल खसरा 475/1.02 हैक्टेयर तथा 478/1.30 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। हाल खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर भूमि के साबिक खसरा नंबर 411, 473 एवं हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर के साबिक खसरा नंबर 414, 415, 466, 468, 469, 467 रहे हैं, जिनकी खातेदारी वादी एवं सौम्या पुत्र लच्छू के हिस्सा 1/2-1/2 दर्ज रिकॉर्ड रही

  
उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

है। यह है कि साबिक खसरा नंबर 411 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 414 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 415 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा का आधा हिस्सा 2 बीघा 16<sup>1/2</sup> बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये रजिस्ट्री सौन्या पुत्र लच्छू से दौराने हाल सैटलमेंट क्रय किया था एवं खरीद के समय 2 बीघा साढे सोलह बिस्वा भूमि का ही कब्जा प्राप्त किया था। यह है कि हाल सैटलमेंट दौराने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा भूमि खरीदने के आधार पर हाल खतौनी बंदोबस्त में हाल खसरा नंबर 475 रकबा 1.02 हैक्टेयर एवं हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर भूमि जो कि पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक कजोड पिता मु. काला हिस्सा 1/2, सौन्या पुत्र लच्छू हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहा है में नोट लगाकर हाल खसरा नंबर 475 की खातेदारी कजोड पिता मु. काला 3/4, श्रीराम, नाथू पिता श्योबक्स हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2, सौन्या पुत्र लच्छू हिस्सा 1/2 तथा खसरा नंबर 478 में कजोड पिता मु. काला 2/3, श्रीराम नाथू पिता श्योबक्स हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 व सौन्या पुत्र लच्छू हिस्सा 1/2 का अंकन कर दिया जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की वास्तविक हिस्सेदारी के मुताबिक न होकर मनमाना अंकन हो गया। उक्त दोनों ही खसरा नंबरान में सौन्या पुत्र लच्छू का हिस्सा पूर्ववत रह गया और वादी का हिस्सा कम कर दिया जबकि वादी ने प्रतिवादीगण को भूमि का बेचान नहीं किया था। यह है कि हाल खसरा नंबर 475/1.02, 478/1.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर में साबिक रिकॉर्ड के मुताबिक वादी के हिस्सा 1/2 में 1.16 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए थी, परन्तु सैटलमेंट विभाग द्वारा लगाए गए नोट से खसरा नंबर 475/1.02 में से 3/4 दर हिस्सा 1/2 यानि 0.38.25 एवं खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में से 2/3 दर हिस्सा 1/2 यानि 0.43.33 कुल रकबा 0.81.58 हैक्टेयर ही रह गया, जो वास्तविक हिस्सा 1/16 हैक्टेयर की तुलना में 0.34.42 हैक्टेयर कम दर्ज हो गया। वही प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा हाल खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 यानि 0.12.75 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 यानि 0.21.67 कुल रकबा 0.44.42 हैक्टेयर दर्ज कर दिया जो उनके द्वारा खरीदी गई भूमि 2 बीघा साढे सोलह बिस्वा के वास्तविक रकबे 0.71 हैक्टेयर की तुलना में 0.26.58 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज हुई वहीं विकता सौन्या पुत्र लच्छू का उक्त दोनों खसरा नंबरान में हिस्सा पूर्ववत 1/2 बना रहा। यह है कि सौन्या पुत्र लच्छू के नाम हाल सैटलमेंट द्वारा की गई उक्त कार्यवाही के कारण हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड रहने का अनुचित फायदा उठाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने पुनः हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर की स्थिति में जरिये नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 23.05.89 के परिवर्तन करा लिया जिससे सैटलमेंट द्वारा हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 2/3 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 एवं सौन्या पुत्र लच्छू का हिस्सा 1/2 के विपरीत वादी का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 2/3 दर्ज करा लिया जो वर्तमान जमाबंदी में भी इसी तरह दर्ज रिकॉर्ड चल रहा है। यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने एक ही दस्तावेज के आधार पर दो बार राजस्व रिकॉर्ड में



उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

इन्द्राज करा लेने से प्रतिवादीगण की खातेदारी में उनके द्वारा खरीदी गई भूमि 2 बीघा साठे सोलह बिस्वा' भूमि जो हैक्टेयर माप में 0.71 हैक्टेयर के बजाय 0.99.42 हैक्टेयर हो गई, जिसमें वादी का हिस्सा 0.28.42 हैक्टेयर शामिल हो गया वही सौन्या पुत्र लच्छू के द्वारा भूमि बेचान करने के बाद उसका हिस्सा 1.16 में 0.71 हैक्टेयर बेचने के बाद 0.45 हैक्टेयर भूमि शेष रहती है के बजाय खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 यानि 0.51 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड चल रही है जिसमें 0.06 हैक्टेयर भूमि वादी के हिस्से की दर्ज हो गई इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम 0.28.42 एवं सौन्या पुत्र लच्छू के नाम 0.06 हैक्टेयर कुल 0.34.42 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी में कम दर्ज रिकॉर्ड हो गई जो काबिले दुरुस्ती है। सौन्या पुत्र लच्छू के नाम अधिक दर्ज भूमि बाबत वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के खिलाफ ही दावा दायर किया गया है। यह है कि प्रतिवादीगण बाजोर ताकतवर एवं पैसे वाले व्यक्ति है प्रतिवादीगण की खातेदारी में उनके द्वारा खरीदी गई भूमि से अधिक भूमि का इन्द्राज हो जाने से जबरन लाठी के बल पर वादी के हक अधिकार की भूमि पर काबिज होना चाहते है। अतः निवेदन है कि डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक इस अमर की प्रदान की जावे कि भूमि वाकै ग्राम आमलोदा दूदी के हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर का साबिक रिकॉर्ड के आधार पर 0.28.42 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर खातेदार काशतकार घोषित किया जावें। इस प्रकार हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 72/130 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 58/130 घोषित किया जाकर इस आशय का नोट जमाबंदी में डलवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कराया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर वादी को शांतिपूर्वक काबिज होकर काशत करने देवे। जबरन बेदखल कर खुद कब्जा नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/11 तथा 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम आमलोदा दूदी खाता संख्या 14 संवत् 2065-2068 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी ग्राम आमलोदा दूदी खाता संख्या 15 संवत् 2065-2068 प्रदर्श-2, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम आमलोदा दूदी प्रदर्श-3, नकल नामान्तरण जमाबन्दी ग्राम आमलोदा दूदी खाता संख्या 137 प्रदर्श-4, नकल हाल खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 15 पृष्ठ संख्या 48, 19 प्रदर्श-5, नकल जमाबंदी ग्राम आमलोदा दूदी खाता संख्या 11 व 12 संवत् 2049-2052 (पृष्ठ-2) प्रदर्श-6, नकल खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 8 ग्राम आमलोदा दूदी संवत् 2012-2027 प्रदर्श-7, नकल आदेशिक मुकदमा नंबर 25/2008 उनवान कजोड बनाम श्रीराम वगैरह दिनांक 08.02.2011 एवं 23.02.2011 प्रदर्श-8, नकल दावा उनवान कजोड बनाम श्रीराम वगैरह प्रदर्श-9, नकल प्रार्थना पत्र बाबत दिए जाने इजाजत वाद पत्र को विद्वा किए जाने बाबत प्रदर्श-10, नकल जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

ग्राम आमलोदा दूदी खाता संख्या 13 संवत् 2065-2068 प्रदर्श-11, फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम आमलोदा दूदी संवत् 2032-2035, नकल जमाबंदी ग्राम आमलोदा दूदी खाता संख्या 397 संवत् 2065-2068, फोटो प्रति विक्रय पत्र आदि पेश किए हैं।

4. प्रतिवादी संख्या प्रति 0 संख्या 1/1 लगा 1/11 तथा 2 की तरफ से प्रस्तुत जवाब दावे में कथन रहे कि हाल खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर के साबिक खसरा नंबर 411, 473 से व 478/1.30 हैक्टेयर साबिक खसरा नंबर 414, 415, 466, 467, 468, 469 से बने होना एवं जिसकी खातेदारी वादी एवं सौन्या पुत्र लच्छू के नाम होना सही है। साबिक खसरा नंबर 411 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 414 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 415 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा का आधा हिस्सा 2 बीघा 16<sup>1/2</sup> बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये रजिस्ट्री सौन्या पुत्र लच्छू से कय कर लिया था, जो दौराने हाल बन्दोबस्त किया था किन्तु खरीद के समय 2 बीघा 16<sup>1/2</sup> बिस्वा भूमि का ही कब्जा प्राप्त किया हो गलत है। उक्त भूमि को कय किए व कब्जा आराजी लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को लगभग 60 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, क्योंकि उक्त भूमि सम्पूर्ण पर कब्जा खरीद के पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का चला आ रहा है। हाल सैटलमेंट अधिकारी ने दौराने कार्यवाही सैटलमेंट साबिक भूमि खसरा नंबर 475 व 478 की खातेदारी बाबत जो नोट लगाया है वह आमलोदा दूदी में सहायक भू-प्रबंध अधिकारी एवं सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के आदेश सा. मि. न. 286 दिनांक 11.12.82 अनुसार खसरा नंबर 475 के कजोड पुत्र मु. काला हिस्सा 3/4 श्रीराम पुत्र नाथू पिता श्योबक्स हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 सौन्या पुत्र लच्छू हिस्सा 1/2 तथा खसरा नंबर 478 में कजोड पिता मु. काला, श्रीराम, नाथू पिता श्योबक्स हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 सौन्या पुत्र लच्छू का इन्द्राज समझा जावे से दोनों पक्षों के मध्य हुए फैसला के अनुसार लगाया गया है जिसे वादी के कहे अनुसार किसी भी तरह से गलत या गैर कानूनी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उक्त नोट व निर्णय दिनांक 11.11.82 आज इस वाद दायरा से पूर्व ही अंतिम हो गया है, जिसे समय व नियम अवधि में किसी भी सक्षम न्यायालय में वादी ने तत्समय निरस्त अपील या रिवीजन या वाद पत्र के जरिये कानूनी प्रावधानों के अनुसार निरस्त नहीं कराया है इस कारण वादी का दोनों खसरा नंबरान में अपना हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार बताया या घोषित करवाना गलत व गैर कानूनी है। फैसला दिनांक 11.11.82 के आधार पर ही वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा नंबरान व रकबा की हिस्सा खातेदारी दोनों पक्षों के नाम दर्ज चली आ रही है। जिस आधार पर ही हाल खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर में हिस्सा 3/4 दर हिस्सा 1/2 वादी कजोड पिता मु. काला के व इसी कदर खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर का हिस्सा 2/3 दर हिस्सा 1/2 वादी कजोड पिता मु. काला के नाम व शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी में हाल खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 तथा हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया है। वादी कजोड दिनांक 11.11.82 के फैसला एसडी के खिलाफ एवं उक्त



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
बिराटनगर (जयपुर)

फैसला की पालना में चले आ रहे हाल राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज इस बाद के जरिये चेलेन्ज करने को अधिकृत नहीं है बल्कि स्टोपड है। तथा उसे याने वादी को वर्तमान परिस्थिति में इन्द्राज दुरुस्त कराने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी पर लॉ ऑफ ऐस्टोपल व ऐक्यूसेंस का प्रिन्सिपल लागू होता है। हाल खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर तथा 478/1.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.32 हैक्टेयर जमाबंदी संवत् 2042 लगायत 2045 के लगाए गए नोट जरिये फैसला दिनांक 11.11.82 के वादी का साबिक रिकॉर्ड में हिस्सा 1/2 नहीं रह गया है, अपितु खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर में हिस्सा 3/4 दर हिस्सा 1/2 यानि 0.38.25 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में हिस्सा 2/3 दर हिस्सा 1/2 यानि 0.43.33 हैक्टेयर कुल 0.81.58 हैक्टेयर रह गया है, जो किसी भी तरह से कम या गलत दर्ज नहीं किया गया है। तथा वहीं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा हाल खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 यानी 0.12.75 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 यानि 0.21.67 हैक्टेयर कुल दोनों खसरा नंबरों का रकबा 0.44.42 हैक्टेयर सही सही दर्ज किया गया है। किसी तरह से गलत अंकित नहीं किया गया है। जब जमाबंदी संवत् 2042-2045 में लगे, हुए नोट के मुताबिक फैसला ए.एस.ओ दिनांक 11.11.82 जो कि दोनों पक्षों की सहमति एवं कब्जा काशत के आधार पर किया गया था तो वादी का उपरोक्त खसरा नंबर 475 व 478 में हिस्सा 1/2-1/2 साबिक रिकॉर्ड के अनुसार समाप्त हो चुका है। तो वह वादी इस बाद के माध्यम से पुनः साबिक रिकॉर्ड के इन्द्राज के मुताबिक नये रिकॉर्ड को संशोधन दुरुस्त कराके उक्त भूमि की हिस्सा 1/2-1/2 खातेदारी की घोषणा अपने नाम तथा खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कराने को अधिकृत नहीं है। इस प्रकरण में रेस्जूडिकेटा का सिद्धान्त लागे होने से मौजूदा शकल में वाद वादी चलने योग्य कानूनी तौर पर नहीं रह जाता है इस कारण वाद वादी खारिज फरमाया जावें, क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खिलाफ दिनांक 11.11.82 दोनों पर ही बाध्यकारी व अंतिम हो चुका है, जिसे संबंधित अपर न्यायालय के द्वारा ही अपील अथवा रिवीजन में नियत समय अवधि दिनांक 11.11.82 से गुजरने 1 माह यानि 30 दिन के अन्दर ही सैटलमेंट अधिकारी महोदय के न्यायालय में चैजेन्ज करना चाहिए था। उक्त अवधि में न्यायालय श्रीमान के समक्ष दावे में चेलेन्ज करना चाहिए था इस कारण वाद वादी खारिज फरमाया जावें। हाल सैटलमेंट की कार्यवाही सोन्या पुत्र लच्छू के नाम 1/2 दर्ज रिकॉर्ड होना किसी तरह से गलत नहीं है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कोई अनुचित फायदा नहीं उठाया है। ना ही पुनः हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर की स्थिति में राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जरिये नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 23.05.89 के कोई परिवर्तन कराया है, अपितु राजस्व कर्मचारियों ने नियमानुसार रिकॉर्ड एवं पक्षकारान की मौका स्थिति कब्जा के अनुसार ही अमल-दरामद किया। राजस्व कर्मचारियों मिलकर गलत इन्द्राज कराने का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर वादी का गलत आरोप लगाया है जबकि ऐसा कराया जाना नामुमकिन बात है, जिससे हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 2/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का



उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 एवं सोन्या पुत्र लच्छू का हिस्सा 1/2 के विपरीत वादी का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 2/3 दर्ज करा लेना भी गलत अंकित किया है। जो वर्तमान जमाबंदी इन्द्राज किए गए है वह वादी के खिलाफ किसी भी तरह से नहीं है। वादी का यह कथन निराधार है कि प्रतिवादीगण की खातेदारी में उनके खरीदी गई भूमि 2 बीघा साढे सौलह बिघ भूमि जो हैक्टेयर माप में 0.72 हैक्टेयर के बजाय 0.99.42 हैक्टेयर हो गई है स्वीकार नहीं है, जिससे वादी का हिस्सा 0.28.42 हैक्टेयर शामिल हो गया है गलत है। वही सौन्या पुत्र लच्छू के द्वारा भूमि बेचान करने के बाद उसका हिस्सा 1.16 में से 0.71 हैक्टेयर बेचाने के बाद 0.45 हैक्टेयर भूमि ही शेष रहती है गलत है तथा खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 यानि 0.51 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड चल रही है, जिसमे 0.06 हैक्टेयर भूमि वादी के हिस्से की दर्ज हो गई हो गलत है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 0.28.42 हैक्टेयर एवं सोन्या पुत्र लच्छू के नाम 0.06 हैक्टेयर कुल 0.34.42 हैक्टेयर भूमि सब कुल को जोड़ तोड़ बैठाकर बताना गलत है। स्वीकार नहीं है, जबकि सोन्या पुत्र लच्छू को इस वाद में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है तो सौन्या पुत्र लच्छू के विरुद्ध की कोई जोड़ बाकी मिलाने को कोई महत्व या औचित्य नहीं रहता है बिना सौन्या को प्रोपर पार्टी वाद वादी 0.34.42 हैक्टेयर भूमि काबिल दुरुस्ती नहीं है। खारिज योग्य है। सोन्या पुत्र लच्छू के साथ वाही इसेस पूर्व ही इस अमर का दावा संख्या 25/2008 दिनांक 23.02.2011 को विद्वा कर चुके है तथा नये इस वाद भी उसके पक्षकार नहीं बनाया है जबकि दुरुस्ती रिकॉर्ड जो सोन्या एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विक्रेता के रूप में उसे भी संबंधित खसरा नंबरान एवं रकबा की कमी पूर्ति के लिए वादी जिम्मेदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ ठहराते हुए बराबर हर वाद खण्ड में चले रहे है तो सोन्या पुत्र लच्छू के नाम अधिक दर्ज भूमि बाबत वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पुनः सोन्या के खिलाफ दावा करने पर फिर से उन्हें पक्षकार बनाकर घसीटना चाहते है, इसलिए हाल फिलहाल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खिलाफ ही सोन्या को छोड़कर वाद पेश कर रहे है जो वादी का सोच गलत है, जिसके लिए माननीय न्यायालय को कोई अनुमति देना न्यायसंगत नहीं है। उपरोक्त कारण से वाद दुरुस्ती इन्द्राज सोन्या के अभाव में खारिज किया जावें। वादी को तमाम राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी दायरी दावा 25/08 उनवानी कजोड बनाम श्रीराम वगैरह पेश करते वक्त ही हो गयी थी दिनांक 23.02.2011 को वादी ने उक्त वाद 07 नियम 11 सीपीसी की बहस के समय दावा गलत एंग से पेश करने की सूरत में दावा खारिज होने की स्थिति पैदा होने की वजह से विद्वा किया था तथा उन्हीं तथ्यों को घुमाफिराकर अधिकांश उन्हीं दस्तावेजों का एवं कारणों का सहारा लेकर सोन्या पुत्र लच्छू का नाम हटाकर यह नया वाद पेश किया है। जो वर्तमान हालात में कतई चलने योग्य नहीं होकर काबिले किए जाने खारिज योग्य है। तथा यह दावा वादी ने प्रतिवादीगण को हैरान, परेशान करने की गरज से उन्हें मुकदमा दर मुकदमा लंबे समय तक उलझाये रखने के मकसद से पेश किया गया है। तथा वादी को कोई वाद कारण पैदा नहीं होता पूर्व में भी इन्हीं तथ्यों की आड लेकर दावा पेश किया



उपखण्ड अधिकारी  
द्वाराटनगर (जयपुर)

गया था इस कारण दूसरा दावा उन्हीं कारणों का कॉज ऑफ एक्शन दिए जाने वेदखल करने की धमकी की वजह से पेश किया गया होने खारिज फरमाये जाने योग्य है। इस वाद पर रेस्जूडीकेटा का प्रिन्सिपल लागू होने से दावा खारिज योग्य है। तथा काउन्टर क्लेम में कथन रहे कि कजोड का पिता सोनाराम(जायन्दा) व श्रीराम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मामा-बुआ भाई-भाई रहे हैं। कजोड का पिता जायन्दा सोनाराम बुआ श्रीराम नाथू का लडका है तथा श्रीराम नाथू कजोड के मामा श्योबक्स के लडके हैं। हाल आराजी का साबिक खसरा नंबर 411 रकवा 2 बीघा 5 बिस्वा, 414 रकवा 1 बीघा 14 बिस्वा, 415 रकवा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 5 बीघा 10 बिस्वा जब भी तभी उक्त भूमि को अर्सा करीबन 60 साल पहले श्रीराम मामा के लडके सोहन बुआ के लडके से कीमतन 1000 रूपया नकदी में मोल-माला कलाम सम्पूर्ण रकवा को ही खरीद लिया था तथा रिकॉर्ड में अंकित सालिम भूमि 1.30 हैक्टेयर माने सवा 5 बीघा को क्रय कर स्वयं का कब्जा कर लिया था तथा बुआ के लडके ने स्पेच्छा पूर्वक कब्जा माम के लडके श्रीराम को मौके पर संभलवा दिया था। जिस खरीद भूमि की आपस दारी एवं रिश्तेदारी की वजह से दोनों के मध्य भाई-भाई होने के कारण आपसी घनिष्ठ प्रेम भाव एवं विश्वास के कारण किसी तरह की लिखापढी नहीं कराई गई थी तथा सोहन ने फिर कभी उक्त भूमि पर अपना क्लेम नहीं जताया था, क्योंकि श्रीराम का पिता श्योबक्स अपनी बहिन के चेचावाला में खुद का गांव अरणया(शाहपुरा) लखेर के पास को छोडकर श्योबक्स की बहन के पास आ बसा था याने सोहन के गांव में आ बसा था तथा अपने जीवन यापन के लिए उक्त भूमि 1.30 हैक्टेयर याने सवा 5 बीघा को 1000 रूपया में खरीद लिया था। इस कारण करीबन 60 साल के लंबे समय से श्रीराम अपने पिता श्योबक्स के समय से योता-जोतता काबिज रहकर कार्य काश्त करता चला आ रहा है। तथा अर्सा करीबन 12 साल से भी अधिक समय से निरन्तर वादी व सोहन को जानकारी इन दोनों को कब्जे से आउस्ट रखते हुए काबिज काश्त रहा है इस कारण श्रीराम नाथू उक्त भूमि मुतनाजा के कब्जा मुखालपना के आधार पर भी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार बमुकाबले वादीगण घोषित किए जाने योग्य है। एवं अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं इस कारण वादीगण के व सोहन के तमाम हक व खातेदारी समाप्त होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्राप्त हो गए हैं। अतः जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पेश कर निवेदन है कि वा वादी मय खर्चे खारिज फरमाया जावे। एवं काउन्टर क्लेम मंजूर किया जावे।

5. वादी की तरफ से प्रस्तुत जवाबुल जवाब दावा में कथन रहे कि हाल सैटलमेंट के समय प्रतिवादीगण ने 2 बीघा 16<sup>1/2</sup> बिस्वा से ज्यादा की रजिस्ट्री नहीं करवाई फिर सैटलमेंट में वास्तविक खरीद का खाता क्यों नहीं खुलवाया और यदि कब्जा ज्यादा था तो कम जमीन का खाता क्यों खुलवाया उससे इस बात की पुष्टि होती है कि सैटलमेंट के दौरान खाता गलत ढंग से खोला गया था। यह है कि प्रतिवादीगण ने जवाब दाव में हाल सैटलमेंट के द्वारा निर्णय कर खाता खोलने के खिलाफ वादी द्वारा कोई आपत्ति, अपील नहीं करने से अब वादी की कार्यवाही को विबंधन द्वारा एस्टोप होने का कथन किया है एवं वादी

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

का प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल से एस्टोपड होने एवं कार्यवाही करने के अधिकार नहीं होने का कथन किया है जो गलत है, जबकि रिकॉर्ड दुरुस्ती का दावा लाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सैटलमेंट की कार्यवाही के खिलाफ रिकॉर्ड दुरुस्ती का दावा लाने में एस्टोपल जैसी कोई बाध्यता नहीं है। तथा सैटलमेंट कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के पूर्ववर्ती प्रविष्टियां को बदलने के अधिकार नहीं होते हैं, जिससे वादी के खिलाफ सैटलमेंट की कार्यवाही में एस्टोपल जैसी बाध्यता नहीं है। सैटलमेंट के दौरान रकबा कम ज्यादा कर देने से वादी की साविक रिकॉर्ड के हिसाब से खातेदारी व हक अधिकार न तो समाप्त होते हैं और न ही रिकॉर्ड दुरुस्ती के अधिकार समाप्त होते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने द्वारा खरीदी गई भूमि 2 बीघा 16<sup>1/2</sup> विस्वा भूमि जिसका रकबा 0.71 हैक्टेयर होता है के बजाय 0.44.42 हैक्टेयर को सही सही दर्ज होना भी माना है एवं सैटलमेंट के निर्णय की अपील नहीं होने से निर्णय दिनांक 11.11.82 को अंतिम होना बताया है वह भी गलत है। तथा प्रतिवादीगण ने एक बार खरीदी गई भूमि की खातेदारी पहले सैटलमेंट कर्मचारियों से फिर नामान्तकरण द्वारा यानी दो बार दर्ज रिकॉर्ड कराई है जो विधि विरुद्ध दर्ज कराई है, जिसमें रिकॉर्ड काबिले दुरुस्ती है। प्रतिवादीगण ने सौन्या पुत्र लच्छू को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाए जाने से दावा चलने योग्य नहीं बताया है, बल्कि वादी ने अपने वाद में सौन्या पुत्र लच्छू के खिलाफ दावा लाने के अधिकार सुरक्षित रखते हुए दावा दायर करने का स्पष्ट कथन किया है, कोई तथ्य छुपाया नहीं है। वादी अपने दावे का मेकर है उसे अपनी इच्छानुसार दावा दायर करने के विधिक अधिकार होते हैं। वह किसी व्यक्ति के खिलाफ अपने अधिकार छोड़ने एवं सुरक्षित रखने का अधिकारी है, प्रतिवादी किसी अन्य के खिलाफ दावा लडने के लिए वादी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह है कि वादी हाल खसरा नंबर 475/1.02, 478/1.30 हैक्टेयर दोनों खसरा नंबरों में सह खातेदार आज भी दर्ज रिकॉर्ड है एवं सह खातेदार का कब्जा सभी सह खातेदारों का कब्जा माने जाने की विधि में अवधारणा की जाती रही है। एक सह खातेदार का दूसरे सह खातेदार के खिलाफ कब्जा एडवर्स पजेशन की तारीफ में नहीं माना जाता है। जहां तक सवा पांच बीघा का 60 वर्ष से कब्जा होने का कथन है वह भी गलत है। हाल सैटलमेंट के समय जब 5 बीघा 13 विस्वा के 1/2 भाग की रजिस्ट्री कराई गई तब प्रतिवादीगण का कब्जा सम्पूर्ण भूमि पर होता तो रजिस्ट्री भी पूरे रकबे की ही कराते अन्यथा में प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में 0.44.42 हैक्टेयर का खाता सही-सही होना नहीं कहते एवं पुनः रिकॉर्ड दुरुस्ती कराकर रिकॉर्ड सही कराने के बजाय नामान्तकरण संख्या 137 के द्वारा हिस्सेदारी कम ज्यादा कराने के बजाय पूरी हिस्सेदारी ही अपने नाम करा लेते। प्रतिवादीगण ने अपना कब्जा 1.30 हैक्टेयर पूरे रकबे पर होना कहा है, परन्तु 475, 478 में कितने-कितने रकबे पर कब्जा की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है एवं कब किस साल संवत में वादी व उसके पिता को जबरन बेदखल कर खुद कब्जा किया कब एडवर्स पजेशन शुरू हुआ की भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तमाम तथ्य भ्रमक स्थिति पैदा करने के आशय से दर्ज कराई गई है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी रजामंदी से हाल खसरा नंबर 477 व 478 की



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

पिछले 5-6 साल पहले अदलाबदली करके एक जगह जमीन करने के आशय से काशत कर रहे हैं, जिससे 477 सम्पूर्ण रकबे पर वादी का एवं 478 के कुछ भाग पर वादी का कब्जा काशत है प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण 478 खसरा नंबर पर कब्जा काशत नहीं है। प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किए जाने योग्य हैं अतः जबाबुल जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम मय हर्जे खर्चे खारिज किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाने की कृपा करें।

6. प्रकरण में तनकीयात कायम की गई-

(1). आया वादीगण मुताबिक रिलीफ खण्ड वाद पत्र संख्या 12(क) के मुताबिक हाल खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर, 478/1.30 हैक्टेयर वाकै ग्राम आमलोदा दूदी तहसील विराटनगर को साबिक रिकॉर्ड के अनुसार दुरुस्त करवाकर हिस्सा 1/2 के खातेदार काशतकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण के अधिक दर्ज रकबा 0.28.42 हैक्टेयर की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

— जिम्मेवादी

(2). आया वादीगण, प्रतिवादीगण को बाद दुरुस्ती खातेदारी विवादित भूमि के उपयोग/उपभोग में किसी तरह की बेजा दखल या मजामहत कारित नहीं कराने हेतू पाबंद कराने के अधिकारी है।

— जिम्मेवादी

(3). आया मुताबिक जवाब दावा के विशेष कथन काउन्टर क्लेम पैरा नंबर 15 के अनुसार साबिक आराजी के आधार पर हाल आराजी खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर ग्राम आमलोदा दूदी तहसील विराटनगर के एडवर्स पजेशन व खरीद लेने के आधार पर खातेदार काशतकार बमुकाबले वादीगण संपूर्ण भाग के घोषित किए जाने के अधिकारी है तथा वादीगण को काउन्टर स्थायी निषेधाज्ञा से उक्त वाद में पाबंद कराने के अधिकारी है।

— जिम्मेप्रतिवादी

7. प्रकरण में साक्ष्य वादी में P.W-1 कजोड पुत्र काला जाति गुर्जर, P.W-2 रामेश्वर पुत्र ज्ञानाराम जाति बलाई, P.W-3 बनवारी पुत्र सुवालाल जाति बुनकर के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश किया गया तथा बयान पंजीबद्ध किए गए।

8. तनकी संख्या 1, 2, व 3 का विवेचन निम्नानुसार है-

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर रहा है। वाद ग्रस्त साबिक खसरा नंबर 411, 414, 415, 466, 468, 469, 467, 473 की खातेदार वादी कजोड व सोन्या पुत्र लच्छू के नाम हिस्सा 1/2-1/2 दर्ज रिकॉर्ड रही है। साबिक खसरा नंबर के हाल खसरा नंबर 475/1.02 तथा 478/1.30 हैक्टेयर बनाए गए है। वादी ने यह बात भी साबित की है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने साबिक खसरा नंबर 411 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 414 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 415 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि में सौन्या पुत्र लच्छू का हिस्सा 1/2 रकबा 2 बीघा साढे सौलह बिस्वा होता है, जिसको जरिये रजिस्ट्री से खरीदा है, परन्तु हाल खतौनी बंदोबस्त में उक्त रजिस्ट्री के मुताबिक खसरा नंबर 475 व 478 वादी की हिस्सेदारी में ही क्रेतागण का नोट लगा दिया गया, जो रिकॉर्ड के अवलोकन से भी स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद प्रतिवादीगण ने पुनः रजिस्ट्री के आधार



उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

पर नामान्तरण संख्या 137 दिनांक 30.05.1989 को हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में वादी राजस्व रिकॉर्ड को बदलते हुए वादी का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 2/3 दर्ज रिकॉर्ड करवा लिया, जिससे हाल खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण की कुल भूमि 0.71 हैक्टेयर के बजाय 0.99.42 हैक्टेयर दर्ज हो गयी, जिससे प्रतिवादीगण के नाम वादी के हिस्सा की 0.28.42 हैक्टेयर ज्यादा भूमि दर्ज रिकॉर्ड हो गयी, जो रिकॉर्ड के अवलोकन एवं गवाहों के बयानों से साबित होता है। तथा दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी रजिस्ट्री द्वारा खरीदी गई भूमि दिए जाने का अनुरोध किया है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्ट्री से 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि का हिस्सा 1/2 खातेदार सौन्या पुत्र लच्छू से खरीदा गया है न की वादी से। ऐसी स्थिति में वादी का जो हिस्सा कम किया गया है वह गलत किया गया है, जिससे वादी अपने हिस्से को दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाने योग्य है। खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 3/4 दर हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 है, जिनका रकबा क्रमशः 0.3825 व 0.1275 हैक्टेयर होता है। खसरा नंबर 478 में प्रतिवादीगण के हिस्से की 0.58 हैक्टेयर भूमि एवं वादी के हिस्से की भूमि 0.72 हैक्टेयर बनती है, जिसके अनुसार दावा दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः वादी को हिस्सा 72/130 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हिस्सा क्रमशः 29/130, 29/130 दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

**तनकी संख्या 2** को साबित करने का भार वादी पर है। वाद प्रस्त खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 3/4 दर हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 है, जिनका रकबा क्रमशः 0.3825 व 0.1275 हैक्टेयर होता है तथा खसरा नंबर 478 में प्रतिवादीगण के हिस्से की 0.58 हैक्टेयर भूमि एवं वादी के हिस्से की भूमि 0.72 हैक्टेयर बनती है, इस हिसाब से वादी एवं प्रतिवादीगण की अपने हिस्से की भूमि की पूर्ति होती है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर उपयोग/उपभोग में किसी तरह की बेजा दखल या मजामहत कारित नहीं कराने हेतु प्रतिवादीगण को पांबद कराने के अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

**तनकी संख्या 3** को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है, परन्तु प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रतिवादी में अपनी काउन्टर क्लेम को साबित करने के लिए कोई गवाह पेश नहीं किया ना ही दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किए जाने योग्य है। अन्यथा में भी प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य विक्रय पत्र के अनुसार प्रतिवादीगण ने हाल खसरा नंबर 475 व 478 के साबिक खसरा नंबरान में हिस्सा 1/2 ही सौन्या पुत्र लच्छू से खरीद गया है, जबकि हाल जमाबंदी में प्रतिवादीगण में खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में कजोड पिता मु. काला का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्सा



उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

- 2/3 दर्ज रिकॉर्ड है। तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर भी प्रतिवादीगण को अपने नाम करवाई गई रजिस्ट्री के अधिक रकबे का खातेदार घोषित नहीं किया गया सकता है। अर्थात् प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम में एडवर्स पजेशन व रजिस्ट्री के आधार पर प्रतिवादीगण को विक्रय पत्र में अंकित रकबे से अधिक का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाने योग्य है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।
9. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

10. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रकरण में वाद ग्रस्त साबिक खसरा नंबर 411, 414, 415, 466, 468, 469, 467, 473 की खातेदार वादी कजोड व सौन्या पुत्र लच्छू के नाम हिस्सा 1/2-1/2 दर्ज रिकॉर्ड रही है। साबिक खसरा नंबर के हाल खसरा नंबर 475/1.02 तथा 478/1.30 हैक्टेयर बनाए गए हैं। वादी ने यह बात भी साबित की है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने साबिक खसरा नंबर 411 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 414 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 415 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि में सौन्या पुत्र लच्छू का हिस्सा 1/2 रकबा 2 बीघा साढे सौलह बिस्वा होता है, जिसको जरिये रजिस्ट्री से खरीदा है, परन्तु हाल खतौनी बंदोबस्त में उक्त रजिस्ट्री के मुताबिक खसरा नंबर 475 व 478 वादी की हिस्सेदारी में ही क्रेतागण का नोट लगा दिया गया, जो रिकॉर्ड के अवलोकन से भी स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद प्रतिवादीगण ने पुनः रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 30.05.1989 को हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में वादी राजस्व रिकॉर्ड को बदलते हुए वादी का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 2/3 दर्ज रिकॉर्ड करवा लिया, जिससे हाल खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण की कुल भूमि 0.71 हैक्टेयर के बजाय 0.99.42 हैक्टेयर दर्ज हो गयी, जिससे प्रतिवादीगण के नाम वादी के हिस्सा की 0.28.42 हैक्टेयर ज्यादा भूमि दर्ज रिकॉर्ड हो गयी, जो रिकॉर्ड के अवलोकन एवं गवाहों के बयानों से साबित होता है। तथा दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी रजिस्ट्री द्वारा खरीदी गई भूमि दिए जाने का अनुरोध किया है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्ट्री से 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि का हिस्सा 1/2 खातेदार सौन्या पुत्र लच्छू से खरीदा गया है न की वादी से। ऐसी स्थिति में वादी का जो हिस्सा कम किया गया है वह गलत किया गया है, जिससे वादी अपने हिस्से को दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाने योग्य है। खसरा नंबर 475/1.02 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 3/4 दर हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 है, जिनका रकबा कमशः 0.3825 व 0.1275 हैक्टेयर होता है तथा खसरा नंबर 478 में प्रतिवादीगण के हिस्से की 0.58 हैक्टेयर भूमि को मिलाकर प्रतिवादीगण की रजिस्ट्री से खरीद शुदा भूमि का रकबा 2 बीघा साढे सौलह बिस्वा के बराबर होता है एवं वादी के हिस्से की भूमि 0.72 हैक्टेयर बनती है, जिसके अनुसार दावा दुरुस्त किया जाना उचित



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

है। अतः खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में वादी को हिस्सा 72/130 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हिस्सा क्रमशः 29/130, 29/130 दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

### आदेश

वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। वाकें ग्राम आमलोदा दूदी के हाल खसरा 478/1.30 हैक्टेयर में वादी को हिस्सा 72/130 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हिस्सा क्रमशः 29/130, 29/130 खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वाकें ग्राम आमलोदा दूदी के खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार हिस्सा दर्ज किया जावें तथा आवश्यक अमल-दरामद करें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर किया जाता है के वे वादी के खातेदारी के उपयोग-उपभोग में किसी तरह की बाधा कारित नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होये।

निर्णय दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)



**डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)**  
**अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर**  
**बइजलास :- राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.**

1. कजोड पुत्र काला जाति गुर्जर निवासी आमलोदा दूधी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादी


बनाम

1. श्रीराम पुत्र श्योबक्स (फौत)
- 1/1. फूली देवी पत्नि श्रीराम  
 1/2. जगदीश  
 1/3. सुण्डाराम  
 1/4. भोमाराम
- 1/5. सरजो पुत्री श्रीराम पत्नि सुल्तान गुर्जर  
 1/6. ममता पुत्री श्रीराम पत्नि विजेन्द्र
- 1/7. पांची पुत्री श्रीराम पत्नि बिरदू गुर्जर निवासी भडाना का बास तन प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
- 1/8. सजना पुत्री श्रीराम पत्नि साधूराम गुर्जर  
 1/9. मन्नी पुत्री श्रीराम पत्नि बनवारी  
 1/10. मीरा पुत्री श्रीराम पत्नी कैलाश
- 1/11. लाली पुत्री श्रीराम पत्नि लीलाराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी माधोगढ वाया प्रतापगढ तह. थानागाजी जिला अलवर राज0।
2. नाथू पुत्र श्योबक्स जाति गुर्जर निवासी आमलोदा दुदी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर।
4. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

**मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 23/2012 दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रुबरू श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादी व हाजरी .....मिन जानिब मुददई रुबरू श्री महेश चन्द मुदगल, अधिवक्ता प्रति0 संख्या 1 व 2 कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक इस अमर की प्रदान की जावे कि भूमि वाकै ग्राम आमलोदा दूदी के हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर का साबिक रिकॉर्ड के आधार पर 0.28.42 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इस प्रकार हाल खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 72/130 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 58/130 घोषित किया जाकर इस आशय का नोट जमाबंदी में डलवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कराया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर (जयपुर)



को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर वादी को शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवे। जबरन वेदखल कर खुद कब्जा नहीं करें।

**सुना गया।** बहस अधिवक्ता उभयपक्ष व पैरोकार सरकार सुनी गई। प्रकरण में पेश दस्तावेजी साक्ष्यों/मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

**अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र डिकी किया जाता है। वाकै ग्राम आमलोदा दूदी के हाल खसरा 478/1.30 हैक्टेयर में वादी को हिस्सा 72/130 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हिस्सा क्रमशः 29/130, 29/130 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वाकै ग्राम आमलोदा दूदी के खसरा नंबर 478/1.30 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार हिस्सा दर्ज किया जावें तथा आवश्यक अमल-दरामद करें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर किया जाता है के वे वादी के खातेदारी के उपयोग-उपभोग में किसी तरह की बाधा कारित नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

**निर्णय दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**



*(Signature)*  
(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य.....  
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की  
 सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का  
 अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज  
 तारीख **29.07.2021** को जारी की गई।

( राजवीर सिंह यादव R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रुपया	मुद्दायलह	रुपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे  
 डिकी के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

( राजवीर सिंह यादव R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर (जयपुर)

